



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-20062026-273685
CG-TL-E-20062026-273685

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3101]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 18, 2026/ज्येष्ठ 28, 1948

No. 3101]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 18, 2026/JYAISTHA 28, 1948

रेल मंत्रालय

(दक्षिण मध्य रेलवे)

अधिसूचना

सिकंदराबाद, 04 जून 2026

का.आ. 3224(अ).—रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 20ए की उप-धारा (I) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट होने के पश्चात् कि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण संलग्न अनुसूची में दिया गया है, विशेष रेलवे परियोजना अर्थात् आंध्र प्रदेश राज्य के अनंतपुरमु जिले के चेतनेपल्ली गांव और गुत्ती मंडल में “3000 एमटी लोडिंग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विद्युत कर्षण प्रणाली का 1x25केवी से 2x25केवी में उन्नयन कार्य – गुंतकल-कड़पा सेक्शन में गुत्ती टीएसएस का निर्माण” के निष्पादन के लिए आवश्यक है, एतद्वारा ऐसी भूमि का अधिग्रहण करने की अपनी मंशा की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति, उक्त अधिनियम की धारा 20डी की उप-धारा (I) के अंतर्गत पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अधिग्रहण और उपयोग के संबंध में आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस (30) दिनों की अवधि के भीतर भू-अर्जन में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है.

प्रत्येक ऐसी आपत्ति, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् राजस्व मंडल अधिकारी, गुंतकल को लिखित रूप में की जाएगी और उसके आधारों को निर्धारित की जाएगी तथा सक्षम प्राधिकारी अर्थात् राजस्व मंडल अधिकारी, गुंतकल आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या कानूनी व्यवसायी द्वारा सुनवाई का अवसर देगा और ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के बाद तथा आगे ऐसी जांच करने के पश्चात् यदि भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी (सीएएलए) यह आवश्यक समझता है तो वह किसी आदेश द्वारा आपत्तियों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है.

उक्त अधिनियम की धारा 20(डी) की उप-धारा (ii) के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा.

इस अधिसूचना के अंतर्गत शामिल की गई भूमि की भू-योजनाएं और अन्य विवरण उक्त सक्षम प्राधिकारी (सीएएलए) के कार्यालय में उपलब्ध हैं और इच्छुक व्यक्ति द्वारा उनका निरीक्षण किया जा सकता है.

अनुसूची

अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का विवरण : आंध्र प्रदेश राज्य के अनंतपुरमु जिले के चेतनेपल्ली गांव और गुत्ती मंडल में में "3000 एमटी लोडिंग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विद्युत कर्षण प्रणाली का 1x25केवी से 2x25केवी में उन्नयन कार्य - गुंतकल-कड़पा सेक्शन में गुत्ती टीएसएस का निर्माण".

क्र.सं.	सर्वेक्षण सं. और उप मंडल सं.	अधिकृत की जाने वाली भूमि एकड़ों में	भूमि का वर्गीकरण	वेब अडंगल के अनुसार पट्टादार का नाम	एंजायर का नाम	सीमाएं			
						उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम
1.	86-2	0.10	जी.यू.- कोंडा	बिचगाला लक्ष्मम्मा पत्नी हनुमंतु	बिचगाला लक्ष्मम्मा पत्नी हनुमंतु	सर्वेक्षण सं. 269-2	सर्वेक्षण सं. 269-2	सर्वेक्षण सं. 269	सर्वेक्षण सं. 86/1
2.	86-3	0.48	जी.यू.- कोंडा	पी.पद्मावती पत्नी संजप्पा	पी.पद्मावती पत्नी संजप्पा	सर्वेक्षण सं. 86 भाग	सर्वेक्षण सं. 141	सर्वेक्षण सं. 90-1बी	सर्वेक्षण सं. 269-2, 269-3
3.	89-1A2	0.61	जी.डी.- पट्टा	1. के.केसन्ना सुपुत्र बालन्ना 2. के.सुकम्मा पत्नी ओबुलेसु	1. के.केसन्ना सुपुत्र बालन्ना 2. के.सुकम्मा पत्नी ओबुलेसु	सर्वेक्षण सं. 89-1ए1	सर्वेक्षण सं. 89-1बी	कोत्तपेटा गांव	सर्वेक्षण सं. 89-ए1ए
4.	90-1B	3.13	जी.डी.- पट्टा	टाइटल की पुष्टि की जानी है	टाइटल की पुष्टि की जानी है	सर्वेक्षण सं. 90-1ए	सर्वेक्षण सं. 91	सर्वेक्षण सं. 90-1ए1	सर्वेक्षण सं. 86/3
5.	269-2	1.68	जी.डी.- पट्टा	टाइटल की पुष्टि की जानी है	टाइटल की पुष्टि की जानी है	सर्वेक्षण सं. 269-1	सर्वेक्षण सं. 269-3	सर्वेक्षण सं. 86-3	सर्वेक्षण सं. 86-2
	कुल	6.00							

[फा.सं. W.Con.182/SRP/TSS/GY/20A]

एच.के.भगोरिया, मुख्य इंजीनियर/निर्माण-1

MINISTRY OF RAILWAYS
(South Central Railway)
NOTIFICATION

Secunderabad, the 4th June, 2026

S.O. 3224(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the schedule annexed hereto, is required for the execution of the Special Railway Project, “Construction of Gooty TSS in Guntakal –Kadapa section for Up-gradation work of Electric Traction System from 1x25kV to 2x25KV to meet 3000 MT loading target ” in Chetnepalli village & Gooty Mandal in Ananthapuramu District in the state of Andhra Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within a period of thirty (30) days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 20D of the said Act.

Every such objection, shall be made to the Competent Authority, namely, Revenue Divisional Officer, Guntakal in writing and shall be set out the grounds there of and the Competent Authority Revenue Divisional Officer, Guntakal shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any as the Competent Authority for Land Acquisition(CALA) thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority for Land Acquisition under sub section (ii) of section 20(D) of the said act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority (CALA).

SCHEDULE

Description of lands in Acquisition: Construction of Gooty TSS in Guntakal –Kadapa section for Up-gradation work of Electric Traction System from 1 X 25 KV to 2 X 25 KV to meet 3000 MT loading target” in Chetnepalli village & Gooty Mandal in Ananthapuramu District in the state of Andhra Pradesh.

Sl. No	Sy.No. & Sub-Division No.	L.A. Extent in acres	Land Classification	Name of the Pattadar as per Webland Adangal	Name of the Enjoyer	Boundaries			
						North	South	East	West
1.	86-2	0.10	G.U.-Konda	Bichagarla Lakshamma W/o Hanumanthu	Bichagarla Lakshamma W/o Hanumanthu	Sy.No 269-2	Sy.No 269-2	Sy.No 269	Sy.No. 86/1
2.	86-3	0.48	G.U.-Konda	P.Padmavathi W/o Sanjappa	P.Padmavathi W/o Sanjappa	Sy.No. 86 PART	Sy.No 141	Sy.No 90-1B	Sy.No 269-2, 269-3
3.	89-1A2	0.61	G.D.-Patta	1. K.Kesanna S/o Balanna 2. K.Sunkamma W/o Obulesu	1. K.Kesanna S/o Balanna 2.K.Sunkamma W/o Obulesu	Sy.No. 89-1A1	Sy.No 89-1B	Kothapeta village	Sy.No. 89-A1A
4.	90-1B	3.13	G.D.-Patta	Title to be conformed	Title to be conformed	Sy.No. 90-1A	Sy.No 91	Sy.No 90-1A1	Sy.No. 86/3

5.	269-2	1.68	G.D.-Patta	Title to be conformed	Title to be conformed	Sy.No. 269-1	Sy.No 269-3	Sy.No 86-3	Sy.No 86-2
Total		6.00							

[F. No. W.Con.182/SRP/TSS/GY/20A]

H.K. BHAGORIA, Chief Engineer/Con-I